न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी :– अशोक सांगवा, आर.ए.एस.

अपील प्र0सं0 13/2023

निहाल सिंह पुत्र श्री भाग सिंह जाति रायसिख निवासी 15 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना, जिला अनूपगढ। अपीलांट

बनाम

. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना। रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार (राजस्व) घड़साना दिनांक 30.04.2018

उपस्थित : 1. श्री दलजीत सिंह, अधिवक्ता, अपीलांट की ओर से।
2. पैरोकार राज।

आदेश दिनांक : 25.10.24

अपीलांट द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट स्टेट के खिलाफ अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 15 के डब्ल्यू एम का प0 नं. 131/23 की किला नं. 01 ता 21 की कुल 21 बीघा रकबा कमाण्ड आवंटन अधिकारी द्वारा भूमिहीनों के तहत आवंटन फरमाया गया था जिस पर अपीलार्थी आज भी काबिज व काश्त कर रहा है व तन्हा मालिक है। अपीलार्थी द्वारा रकबा की किस्ते भी खजाना राज में जमा करवा दी है। अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 22 का नोटिस वाके चक 15 के डब्ल्यू एम का पं. नं. 131/23 का कि.नं. 01 का 0.025 हैक्टयर कि.नं. 10 का 0.025 हैक्टयर, कि.नं. 11 का 0.025 हैक्टयर कि.नं. 20 का 0.025 व किला नं. 25 का 0.025 हैक्टयर कुल 0.125 हैक्टयर का रकबा से बेदखल करने का आदेश प्रदान किया। अपीलार्थी द्वारा जबाव नोटिस देकर निवेदन किया कि उक्त रकबा अपीलार्थी का आवंटनशुदा रकबा है कही भी रास्ता का इन्द्राज उक्त कि.न. में नहीं है। अपीलार्थी द्वारा धारा 22 का जबाव दिनांक 30.04.2018 प्रस्तुत कर दिया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर न कर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधर पर धारा 22 की कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का रकबा धारा 22 की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलार्थी की उक्त रकबा पर नरमा की फसल काश्त की हुयी है यदि अपीलार्थी को बेदखल किया जाता है तो ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति रूपये नें नहीं की जा सकती। उक्त रकबा नाजायज काश्त की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, अनूपगढ़

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि चक 15 के डब्ल्यू एम का प0 नं. 131/23 की किला नं. 01 ता 21 की कुल 21 बीघा रकबा कमाण्ड आवंटन अधिकारी द्वारा भूमिहीनों के तहत आवंटन फरमाया गया था जिस पर अपीलार्थी आज भी काबिज व काश्त कर रहा है व तन्हा मालिक है। अपीलार्थी द्वारा रकबा की किस्ते भी खजाना राज में जमा करवा दी है। अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 22 का नोटिस वाके चक 15 के डब्ल्यू एम का पं. नं. 131/23 का कि.नं. 01 का 0.025 हैक्टयर कि.नं. 10 का 0.025 हैक्टयर, कि.नं. 11 का 0.025 हैक्टयर कि.नं. 20 का 0.025 व किला नं. 25 का 0.025 हैक्टयर कुल 0.125 हैक्टयर का रकबा से बेदखल करने का आदेश प्रदान किया। अपीलार्थी द्वारा जबाव नोटिस देकर निवेदन किया कि उक्त रकबा अपीलार्थी का आवंटनशुदा रकबा है कही भी रास्ता का इन्द्राज उक्त कि.न. में नहीं है। अपीलार्थी द्वारा धारा 22 का जबाव दिनांक 30.04.2018 प्रस्तुत कर दिया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर न कर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधर पर धारा 22 की कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का रकबा धारा 22 की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलार्थी की उक्त रकबा पर नरमा की फसल काश्त की हुयी है यदि अपीलार्थी को बेदखल किया जाता है तो ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति रूप्ये नें नहीं की जा सकती। उक्त रकबा नाजायज काश्त की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

पैरोकार राज ने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत् रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील ऑफ मीमों में वर्णित किया गया है कि चक 15 के डब्ल्यू एम का प0 नं. 131/23 की किला नं. 01 ता 21 की कुल 21 बीघा रकबा आवंटन अधिकारी से आवंटित है। उक्त कथन के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो कि चक 15 के डब्ल्यू एम के प.सं 131/23 में कुल 21 बीघा भूमि अपीलांट को आवंटित हुई है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में उपजिला कलैक्टर घड़साना द्वारा जारी संनद सं. 2168 दिनांक 10.12.2010 में अपीलांट को चक 15 के डब्ल्यू एम के खसरा सं. 131/23 के किला नं. 1ता4, 6 ता 21 की कुल 4.707 हैक्टयर भूमि अलॉट हुई है, जो कुल 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि है। उक्त सनद के आधार पर इंतकाल सं. 92 दिनांक 21.12.2010 को दर्ज किया गया है। उक्त इंतकाल में चक 15 के डब्ल्यू एम के खसरा नं. 131/23 की कुल 4.707 हैक्टयर भूमि अपीलांट के नाम से दर्ज की गई है। उक्त इंतकाल में किला नम्बर को खोल कर अंकित नहीं किया गया है। इस से अपीलांट द्वारा किया गया कथन कि अपीलांट को कुल 21 बीघा रकबा आवंटित हुआ है, साबित नहीं होता है।

अपीलांट द्वारा अपील ऑफ मीमों में वर्णित किया है कि वाके चक 15 के डब्ल्यू एम का पं. नं. 131/23 का कि.नं. 01 का 0.025 हैक्टयर कि.नं. 10 का 0.025 हैक्टयर, कि.नं. 11 का 0.025 हैक्टयर कि.नं. 20 का 0.025 व किला नं. 25 का 0.025 हैक्टयर कुल 0.125 हैक्टयर का रकबा से बेदखल करने का आदेश प्रदान किया। अपीलार्थी द्वारा जबाव नोटिस देकर निवेदन किया कि उक्त रकबा अपीलार्थी का आवंटनशुदा रकबा है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

कही भी रास्ता का इन्द्राज उक्त कि.न. में नहीं है परन्तु पटवारी हल्का 15 के डब्ल्यू एम की रिपोर्ट दिनांक 19.04.2018 के अनुसार चक 15 के डब्ल्यू एम के मु.न. 131/23 के किला नं. 1/1 का 0.025 है0, 10/2 की 0.025 है0, 11 की 0.025 है0, 20 की 0.025 है0 व 21 की 0.025 है0 कुल 0.125 हैक्टयर रकबा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृतशुदा है। जिस पर अप्रार्थी निहाल सिंह पुत्र भागसिंह द्वारा काश्त की गई है। उक्त रकबे के कि0न0 20 में लगभग 10 गुणा 10 वर्गफुट पर पीर की मंजार व दो पेड़ निहाल सिंह द्वारा लगाये गये है जिसके स्वीकृतशुदा रास्ता मौके पर बंद है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन में पाया गया है कि में 15 के डब्ल्यू एम के मु.न. 131/23 के किला नं. 1/1 का 0.025 है0, 10/2 की 0.025 है0, 11/1 की 0.025 है0, 20/2 की 0.025 है0 व 21/2 की 0.025 है0 कुल 0.125 हैक्टयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट एवं जमाबन्दी से यह पूर्णरूप से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि राजस्व रेकार्ड में आराजी राज(गैरमुमकिन रास्ता) दर्ज है और अपीलांट अतिक्रमी है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुजांयश नहीं है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 25.10.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अशोक सांगवा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner